राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक प.20(2)गृह–9/12 पार्ट   जयपुर, दिनांक : 30–05–2016

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि निम्न आदेश जारी किया जाना लोकहित में आवश्यक है।

यतः राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक प.20(2)गृह–9/12 पार्ट, जयपुर, दिनांक 30–05–2016 द्वारा **ऊर्जा विभाग,राजस्थान सरकार व उसके नियंत्रणाधीन कम्पनियों : (1) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., (2) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि., (3) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., (4) अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. एवं (5) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. व इन सभी से सम्बन्धित सब–स्टेशन, ग्रिड सब–स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, राजस्थान स्टेट डिस्पेच लोड सेण्टर, प्रसारण स्टेशन व उसके समस्त कार्यालय एवं उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं** को राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 की धारा (2)(1)(क)(iv) के प्रयोजन के लिए "आवश्यक सेवा" घोषित कर दिया है।

अतः राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से **ऊर्जा विभाग,राजस्थान सरकार व उसके नियंत्रणाधीन कम्पनियों : (1) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., (2) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि., (3) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., (4) अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. एवं (5) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. व इन सभी से सम्बन्धित सब–स्टेशन, ग्रिड सब–स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, राजस्थान स्टेट डिस्पेच लोड सेण्टर, प्रसारण स्टेशन व उसके समस्त कार्यालय एवं उसके कार्यकलापों से संबंधित "आवश्यक सेवाओं"** में हड़ताल किये जाने को अधिसूचना दिनांक 02–12–2015 के द्वारा दिनांक 31–05–2016 की अवधि तक प्रतिषेध किया गया, को अधिनियम की धारा 3 उपधारा (3) के अन्तर्गत **लोकहित** में हड़ताल किये जाने को एतद्द्वारा दिनांक 30–11–2016 तक के लिये प्रतिषेध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

– sd –
(प्रदीप कुमार बोरड)
शासन संयुक्त सचिव,
गृह (आपदा प्रबंधन) विभाग

CIN : U40109RJ2000SGC016486

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(कार्मिक विभाग)

पंजि.कार्या. : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर – **302005**
फोन व फैक्स नं. : **0141-2747036**
Website : www.jaipurdiscom.com
Email : cpo@jvvnl.in; cpojvvnl@yahoo.com

क्रमांकः जेपीडी/मु.का.अ./प.   /प्रे. 1193   जयपुर, दिनांकः 31-05-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता/संभागीय मुख्य अभियन्ता/उप मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता(   ), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ...
3. अधीक्षण अभियन्ता(आई.टी.), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी (   ), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
6. कम्पनी सचिव, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
7. उपनिदेशक कार्मिक/कार्मिक अधिकारी(   ), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ...
8. उप सचिव/सहायक सचिव (   ), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ...
9. निजीसहायक–अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,जयपुर।
10. जन–सम्पर्कअधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
11. सूचनापट्ट।

M S Mathawat
31/5/16
(एन.एस. नाथावत)
मुख्य कार्मिक अधिकारी